राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017
E-mail: trainings.rmsaraj@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प/जय/प्रशिक्षण/2018–19/ 7777 दिनांक : 24/10/18

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

प्राचार्य, डाईट
समस्त जिले।

विषय :– दिनांक 31.10.2018 को अपरान्ह् 1.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक आयोज्य वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के संबंध में।

राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक जिला एवं संभाग स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना के पश्चात् **एकीकृत शिक्षा संकुल के संचालन एवं कार्यरत अधिकारियों को आवंटित कार्य/दायित्वों एवं समग्र शिक्षा अभियान की गतिविधियों के संबंध में क्षमता अभिवर्द्धन किये जाने हेतु दिनांक 31 अक्टूबर 2018 (बुधवार) को अपरान्ह् 1.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में वीडियों कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जायेगा।** वी.सी. में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहेंगे –

क्र.सं.		आमंत्रित अधिकारी का पदनाम	वीडियो कॉन्फ्रेंस
1 (i)	राज्य स्तरीय अधिकारी (राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर से संबंधित)	आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।	शिक्षा संकुल, जयपुर स्थित वी.सी. केन्द्र
		राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।	
		अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम/द्वितीय) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।	
		समस्त उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।	
1 (ii)	राज्य स्तरीय अधिकारी, (निदेशालय प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा , बीकानेर)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।	जिला कलेक्ट्रेट, बीकानेर स्थित DOIT वी.सी. केन्द्र
		अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।	
1(iii)	राज्य स्तरीय अधिकारी, (SCERT, उदयपुर)	निदेशक, एससीईआरटी, उदयपुर।	जिला कलेक्ट्रेट, उदयपुर स्थित DOIT वी.सी. केन्द्र
2	संभाग/जिला स्तर के अधिकारी/कार्मिक	संयुक्त निदेशक (JD), समस्त संभाग, शिक्षा विभाग।	जिला कलेक्ट्रेट स्थित DOIT वी.सी. केन्द्र
		मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक (DPC), समसा।	
		अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा। (ADPC)	
		सहायक निदेशक, कार्यालय CDEO समसा।	
		जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय) (DEO)	
		अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय) (ADEO)	
		सहायक परियोजना समन्वयक (प्रथम/द्वितीय) (APC), जिला कार्यालय, समसा।	
		समस्त कार्यक्रम अधिकारी (PO),जिला कार्यालय, समसा।	
		प्राचार्य, डाईट।	
3	ब्लॉक स्तर के अधिकारी/कार्मिक	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) एवं पदेन BRCF समसा।	ब्लॉक अटल सेवा केन्द्र स्थित DOIT वी.सी. केन्द्र
		अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम/द्वितीय (ACBEO-I, II)	
		समस्त संदर्भ व्यक्ति (RP)	

www.rajteachers.com

वीसी हेतु मुख्य चर्चा बिन्दु निम्नानुसार रहेंगे –

1. एकीकृत शिक्षा संकुल के अंतर्गत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक (CDEO/DPC), अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (ADPC), मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) की भूमिका, कर्तव्य एवं दायित्वों के संबंध में चर्चा।
2. एकीकृत शिक्षा संकुलों की एक ही परिसर में स्थापना/संचालन के संबंध में चर्चा।
3. एकीकृत शिक्षा संकुलों में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों/कार्मिकों के कार्यविभाजन के संबंध में चर्चा।
4. समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित मुख्य गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की प्रगति व समीक्षा।
    - आदर्श/उत्कृष्ट/मॉडल विद्यालय।
    - एसआईक्यूई, एसआईक्यूई सर्टिफिकेशन।
    - गुणवत्ता शिक्षा :– शाला सिद्धि, आनंनदायी शनिवार, कला उत्सव, रेमेडियल टीचिंग।
    - डाईस एवं आइसीटी/शाला दर्पण एवं शाला दर्शन।
    - व्यावसायिक शिक्षा।
    - बालिका शिक्षा।
    - आईडी एवं सामुदायिक गतिशीलता।
    - औपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा।
5. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की सहमति से।

अतः निर्देशानुसार उक्त वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग कार्यक्रम में दिनांक 31.10.2018 को अपरान्ह 1.00 बजे पूर्ण तैयारी के साथ आवश्यक रूप से भाग लेने का श्रम करें।

नोट :– जिला एवं ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुलों से संबंधित संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी/कार्मिक राज्य सरकार द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तरीय संकुलों की स्थापना एवं अधिकारियों के कार्यो/दायित्वों के संबंध में जारी दिशा–निर्देश क्रमांक – पं.21 (32) प्रशि./आयो./2017 पार्ट दिनांक 27/09/2018 का अनिवार्य रूप से गहन अध्ययन कर वीसी में उपस्थित होने का श्रम करें।

(डॉ. प्रिया बलराम शर्मा)
उपायुक्त-द्वितीय

दिनांक 24/10/18

प्रतिलिपि – आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित – 7778

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम/द्वितीय) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, SIERT उदयपुर।
7. समस्त उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. शिक्षा संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
9. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को देकर लेख है कि शिक्षा संकुल स्थित वीसी कक्ष में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
10. प्रभारी अधिकारी पूल एवं स्टोर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त दिवस में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग केन्द्र पर प्रतिभागी अधिकारियों/कार्मिकों हेतु चाय, नाश्ता एवं अन्य समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
11. कार्यालय प्रति।

उपायुक्त-द्वितीय

www.rajteachers.com